

२३/५/२२

वकील अपीलार उप। वकील अपीलार
ने धार्थना पत्र पेश करे निवेदन किया
कि पक्षकारों के मध्य आपत्त में रानीनामा
हो चुका है। अतः अपील आगे चलाना
नही चाहेते है, अतः अपील जाये
विज्ञान खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से उमडा

P. C. Bhat
Advocate
C. for Appl.

C. for Appl.
Applicant

राजस्व अपील अधिकारी
माली